

संचिका संख्या-01/CL-10-09/2017 (Khand-I), श्र०सं०...

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

EF815157311 IN

प्रेषक,

विजय कुमार,  
अपर श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- बाल श्रम से विमुक्त बच्चों के पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र/विद्यालय के संचालन हेतु प्रकाशित निविदा में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र/विद्यालय के संचालन के लिए राज्य के चार जिलों यथा, नवादा, नालन्दा, बांका, एवं जमुई में विशेष आवासीय विद्यालयों/प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु निविदा संख्या-RI/P-01/CL-10-09/2017(Khand-I) L.R.-02, दिनांक-23.06.2026 का प्रकाशन किया गया है, जिसका Previous PR- 006541 (Labour) 2026-27 है। आमंत्रित निविदा में गैर सरकारी संगठनों से निविदा समर्पित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जिसे सम्यक विचारोपरांत परिवर्तित किया जाता है। अब इच्छुक गैर सरकारी संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट भी निविदा समर्पित कर सकते हैं। निविदा के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे। निविदा समर्पित करने हेतु दिनांक-05.08.2026 के अपराह्न 03:00 बजे तक विस्तारित की जाती है। Previous PR- 006541 (Labour) 2026-27 के साथ पुनः पत्र भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न शुद्धि पत्र का प्रकाशन राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी, अँग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जाए।

अनु०:-शुद्धि पत्र का प्रारूप एवं CD।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विजय कुमार)

अपर श्रमायुक्त, बिहार।

पटना, दिनांक-

ज्ञापक:-01/CL-10-09/2017 (Khand-I), श्र०सं०...

प्रतिलिपि: सहायक निदेशक-सह-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर श्रमायुक्त, बिहार।

पटना, दिनांक-13/7/26

ज्ञापक:-01/CL-10-09/2017 (Khand-I), श्र०सं०... 4023

प्रतिलिपि: The Director General Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata, under Ministry of Commerce, Government of India, Vaanijya Tathya Sadan, 565, Anandapur, Ward No. 108, Sector-1, Plot No. 22, ECADP, Kolkata-700107 को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर श्रमायुक्त, बिहार।